

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2010—कार्तिक 7, शक 1932

### भाग ४

#### विषय-सूची

- |                            |                               |                                  |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश,          | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,       | (3) संसद के अधिनियम.             |
| (ग) (1) प्रारूप नियम,      | (2) अन्तिम नियम.              |                                  |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2010

क्र. एफ. 7-18-2009-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगर एवं ग्रामीण नियोजन राजपत्रित (प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी) सेवा भरती नियम, 1977 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में विद्यमान अनुसूची एक, दो, तीन तथा चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियाँ क्रमशः स्थापित की जाए, परन्तु सेवा

भर्ती नियम 1977 के द्वारा सेवा में आये एवं पदोन्नत अधिकारियों पर संशोधित नियम लागू नहीं होंगे. संशोधन निम्नानुसार है अर्थात् :-

अनुसूची-एक

(नियम 5 देखिए)

वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों के नाम

अनु- क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>कर्तव्य पद</b>					
1	पर्यावरण आयुक्त	1	राजपत्रित प्रथम श्रेणी	केडर वेतन+विशेष वेतन	
2	आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश	1	—तदैव—	केडर वेतन+विशेष वेतन	नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 3 के अनुसार.
3	अपर संचालक	2	—तदैव—	37400—67000+ग्रेडपे 8700/-	
4	संयुक्त संचालक	7	—तदैव—	15600—39100+ग्रेडपे 7600/-	
5	उप संचालक (योजना)	6	—तदैव—	15600—39100+ग्रेडपे 6600/-	
6	उप संचालक (सर्वे प्रोजेक्ट)	2	—तदैव—	15600—39100+ग्रेडपे 6600/-	
7	उप संचालक (रिसर्च)	1	—तदैव—	15600—39100+ग्रेडपे 6600/-	
8	उप संचालक (स्थापना)	1	—तदैव—	15600—39100+ग्रेडपे 6600/-	
9	लेखाधिकारी	1	राजपत्रित प्रथम श्रेणी (प्रतिनियुक्ति).	15600—39100+ग्रेडपे 6600/-	
10	प्रोग्रामर	1	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	15600—39100+ग्रेडपे 5400/-	
11	सहायक संचालक (स्था)	1	—तदैव—	15600—39100+ग्रेडपे 5400/-	
12	सहायक संचालक (योजना)	14	—तदैव—	15600—39100+ग्रेडपे 5400/-	
13	सहायक संचालक (सर्वे/प्रोजेक्ट)	7	—तदैव—	15600—39100+ग्रेडपे 5400/-	
14	सहायक संचालक (रिसर्च)	5	—तदैव—	15600—39100+ग्रेडपे 5400/-	

अनुसूची-दो

(नियम 6 देखिए)

भर्ती का तरीका

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की प्रतिशतता		
				सीधी भर्ती द्वारा नियम 6 (क) देखिये	सेवा के सदस्यों से पदोन्नति द्वारा नियम 6 (ख) देखिए	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा नियम 6 (ग) देखिए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आवास और पर्यावरण विभाग.	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्रामीण नियोजन राजपत्रित प्रथम श्रेणी सेवा.	(1) पर्यावरण आयुक्त	1	-	-	भारतीय प्रशासनिक सेवा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		(2) आयुक्त-सह-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश.	1	-	-	-तदैव-
		(3) अपर संचालक	2	-	100%	-
		(4) संयुक्त संचालक	7	-	100%	-
		(5) उप संचालक (योजना)	6	-	100%	-
		(6) उप संचालक (सर्वे/प्रोजेक्ट)	2	-	100%	-
		(7) उप संचालक (रिसर्च)	1	-	100%	-
		(8) उप संचालक (स्थापना)	1	-	100%	-
		(9) लेखाधिकारी	1	-	-	प्रतिनियुक्ति
	द्वितीय श्रेणी	(1) सहायक संचालक (प्लानिंग)	14	50%	50%	-
		(2) सहायक संचालक (सर्वे/प्रोज.)	7	50%	50%	-
		(3) सहायक संचालक (रिसर्च)	5	50%	50%	-
		(4) सहायक संचालक (स्था.)	1	-	100%	-
		(5) प्रोग्रामर	1	100%	-	-

## अनुसूची-तीन

(नियम 8 देखिए)

## सीधी भर्ती के लिए आवश्यक अर्हता तथा आयु सीमा

विभाग का नाम	सेवा का नाम	सेवा में पदों के नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आवास एवं पर्यावरण	मध्यप्रदेश नगर एवं ग्रामीण नियोजन राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी) सेवा.	(1) सहायक संचालक (योजना)	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से योजना स्नातक डिग्री/जो कि इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इण्डिया की सह सदस्यता के लिए अर्ह है अथवा इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया की सह सदस्यता, योजना तथा आर्किटेक्चर के संबंध में कम्प्यूटर साफ्टवेयर का ज्ञान होना अनिवार्य है.
		(2) सहायक संचालक (सर्वे/प्रोजेक्ट)	21 वर्ष	35 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि या पत्रोपाधि (डिप्लोमा) या सर्वेक्षक संस्था भारत से अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(3) सहायक संचालक (रिसर्च)	21 वर्ष	35 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र/भूगोल/सांख्यिकी/गणित/वाणिज्य/सामाजिक विज्ञान में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि जिनके पास सांख्यिकी या/और नगर नियोजन कार्य में कम से कम दो वर्षों का अनुभव हो उन्हें अधिमान दिया जायेगा.
		(4) प्रोग्रामर	21 वर्ष	35 वर्ष	जियोइन्फोमेटिक्स में स्नातकोत्तर उपाधि या रिमोट सेंसिंग में डिप्लोमा को सम्मिलित करते हुए कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक.

## अनुसूची-चार

(नियम 14 देखिए)

## पदोन्नति पदों के लिए अनुभव तथा अर्हता

विभाग का नाम	सेवा का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति के लिए अपेक्षित अनुभव तथा अर्हता		विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
				अनुभव	अर्हता	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आवास और पर्यावरण विभाग	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्रामीण नियोजन (राजपत्रित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी सेवा)	1. संयुक्त संचालक	प्रथम श्रेणी अपर संचालक	संयुक्त संचालक के रूप में 7 वर्ष की लगातार सेवा	नगर निवेश, क्षेत्रीय निवेश, यातायात एवं परिवहन, भू-दृश्य वास्तुकला, नगर रुपांकन, गृह निर्माण पर्यावरण निवेश में स्नातकोत्तर उपाधि या स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समकक्ष नगर निवेश संस्था भारत की सह सदस्यता.	(1) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति—चेयरपर्सन. (2) प्रमुख सचिव/सचिव, आवास और पर्यावरण विभाग—सदस्य. (3) आयुक्त सह संचालक/अपर संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग—सदस्य.
		2. उप संचालक (योजना)	संयुक्त संचालक	उप संचालक के रूप में 5 वर्ष की लगातार सेवा	किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय जो नगर निवेशक संस्था भारत से संबद्ध हो, से नगर निवेश में स्नातकोत्तर उपाधि नगर निवेशक संस्था, भारत की	तदैव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					सह सदस्यता के लिए परीक्षा उत्तीर्ण	
3. उप संचालक (सर्वे/प्रोजे.)	संयुक्त संचालक	उप संचालक के रूप में 5 वर्ष की लगातार सेवा			सिविल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि या सर्वेक्षक संस्था भारत द्वारा आयोजित अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण.	तद्वैव
4. उप संचालक (रिसर्च)	संयुक्त संचालक	उप संचालक के रूप में 5 वर्ष की लगातार सेवा			अर्थशास्त्र/भूगोल/सांख्यिकी/गणित/वाणिज्य/सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि तथा नगर निवेश/क्षेत्रीय निवेश/यातायात एवं परिवहन/भू-दृश्य/वास्तु कला/नगर रूपांकन एवं गृह निर्माण में उपाधि.	तद्वैव
द्वितीय श्रेणी 1. सहायक संचालक (योजना)	उप संचालक (योजना)	सहायक संचालक के रूप में 6 वर्ष की लगातार सेवा			—	तद्वैव
2. सहायक संचालक (सर्वे/प्रोजे)	उप संचालक (सर्वे/प्रोजे)		तद्वैव		—	तद्वैव
3. सहायक संचालक (रिसर्च)	उप संचालक (रिसर्च)		तद्वैव		—	तद्वैव
4. सहायक संचालक (स्थापना)	उप संचालक (स्थापना)		तद्वैव		—	तद्वैव
तृतीय श्रेणी अराजपत्रित 1. मानचित्रकार	द्वितीय श्रेणी राजपत्रित सहायक संचालक (योजना)	मानचित्रकार के रूप में 5 वर्ष की सेवा			वास्तुकला/सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि या पत्रोपाधि	तद्वैव
2. उपयंत्री	सहायक संचालक (सर्वे/प्रोजेक्ट)	उपयंत्री के रूप में 5 वर्ष की सेवा			सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि या पत्रोपाधि	तद्वैव
3. वरिष्ठ रिसर्च सहायक	सहायक संचालक (रिसर्च)	रिसर्च सहायक के रूप में 5 वर्ष की सेवा			भूगोल/अर्थशास्त्र/सांख्यिकी/गणित/सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि	तद्वैव
4. अधीक्षक	सहायक संचालक (स्थापना)	अधीक्षक के रूप में 4 वर्ष की सेवा			स्नातक तथा लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण	तद्वैव

No. F. 7-18-2009-XXXII.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Town and Country Planning Gazetted (Class I and Class II) Service Recruitment Rules, 1977, namely :—

#### AMENDMENT

In the said rules for Schedule I, II, III and IV, the following Schedules shall respectively be substituted,

provided that the revised rules will not be applicable to the officers appointed and promoted under service Rule, 1977. The substitution is as follows namely :—

### SCHEDULE-I

(See Rule-5)

#### Classification, Scale of Pay and Number of posts included in the service

Se. No.	Name of posts included in service	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I Duty Post</b>					
1	Environment Commissioner	1	Gazetted Class I (service)	Cadre pay + Special Pay.	
2	Commissioner-cum-Director, Town and Country Planning	1	—do—	Cadre pay + Special Pay	As per Section 3 of T & CP Act, 1973.
3	Additional Director	2	—do—	37400—67000+GP8700	
4	Joint Director	7	—do—	15600—39100+GP7600	
5	Deputy Director (Planning)	6	—do—	15600—39100+GP6600	
6	Deputy Director (Survey Project)	2	—do—	15600—39100+GP6600	
7	Deputy Director (Research)	1	—do—	15600—39100+GP6600	
8	Deputy Director (Establishment)	1	—do—	15600—39100+GP6600	
9	Accounts Officer	1	Gazetted Class-I (Deputation)	15600—39100+GP6600	
10	Programmer	1	Gazetted Class-II	15600—39100+GP5400	
11	Assistant Director (Establishment)	1	—do—	15600—39100+GP5400	
12	Assistant Director (Planning)	14	—do—	15600—39100+GP5400	
13	Assistant Director (Survey/Project)	7	—do—	15600—39100+GP5400	
14	Assistant Director (Research)	5	—do—	15600—39100+GP5400	

### SCHEDULE-II

(See Rule-6)

#### Method of Recruitment

Name of Department	Name of service	Name of Post	Total No. of posts	Percentage of the No. of duty posts to be filled in		
				By Direct recruitment vide rule 6(a)	By promotion of members of the service vide rule 6(b)	By transfer of persons from other services vide rule 6(c)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Housing and Environment Department	Madhya Pradesh Town and Country Planning Gazetted (Class-I) Service.	1. Environment Commissioner	1	-	-	Indian Administrative service.
		2. Commissioner cum Director Town and Country Planning	1	-	-	Indian Administrative service.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3. Additional Director	2	-	100%	-
		4. Joint Director	7	-	100%	-
		5. Deputy Director (Planning)	6	-	100%	-
		6. Deputy Director (Survey/Project)	2	-	100%	-
		7. Deputy Director (Research)	1	-	100%	-
		8. Deputy Director (Establishment)	1	-	100%	-
		9. Accounts Officer	1	-	-	By Deputation
	Class-II	1. Assistant Director (Planning)	14	50%	50%	-
		2. Assistant Director (Survey/Project)	7	50%	50%	-
		3. Assistant Director (Research)	5	50%	50%	-
		4. Asstt. Director (Estt.)	1	-	100%	-
		5. Programmer	1	100%	-	-

## SCHEDULE-III

(See Rule-8)

## Essential qualification and age limit of direct recruitment

Name of Deptt.	Name of service	Name of posts in the service	Minimum Age Limit	Upper Age Limit	Educational qualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Housing and Environment Department	M. P. Town and Country Planning Gazetted (Class-II) service.	1. Assistant Director (Planning)	21 Years	35 Years	Degree in Planning from recognized University which is eligible for the associated membership of the Institute of Town Planners India. OR Associated membership Institute of Town Planners (India) having compulsory knowledge of Computer software regarding Planning and Architecture.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2. Assistant Director (Survey/Project)	21 Years	35 Years	Degree or equivalent-Diploma in Civil Engineering from a recognized University or Institute.  OR Final examination pass by Survey Institute India.
		3. Assistant Director (Research)	21 Years	35 Years	II Class post graduate degree in Economics/Geography/ Statistics/Mathematics/Com- merce/Social Science from a recognized University.  Preference will be given to those who have at least two years experience of statistical or/and Town Planning Work.
		4. Programmer	21 Years	35 Years	Post Graduate degree in Geo informatics  OR Graduation in Computer Science including Diploma in Remote Sensing.

## SCHEDULE-IV

(See Rule-14)

## Experience and other qualification for promotion posts

Name of Department	Name of service	Name of post from which promo- tion is to be made	Name of post to which promotion is to be made	Experience and the qualification required for Departmental promotion		Name of members of the departmental promotion committee
				Experience	Qualification	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>Class-I</b>					
Housing and Environment Department	M. P. Town and Country Planning (Gazetted Class I & II service)	1. Joint Director	Additional Director	7 years conti- nuous service as Joint Director.	Post graduate degree or post graduate diploma in Town Planning, Regio- nal Planning, Traffic and Transportation, Landscape, Architecture, Urban Design and Housing, Environment Planning or equivalent or Fellowship or membership of the Institute of Town Planners India.	1. Chairman of Public Service Commission or any person nominated by him Chairper- son. 2. Principal Secretary/Secre- tary Housing and Environ- ment Depart- ment Member. 3. Commissioner cum-Director/ Additional



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Director Town and Country Planning department- Member.
	2. Deputy Director (Planning)	Joint Director		5 years continuous service as Deputy Director	Post graduate in Town Planning from any recognized University which is affiliated by institute of Town planners, India; examination passed for associate membership of institute of Town planners, India.	—do—
	3. Deputy Director (Survey/ Project)	Joint Director		5 years continuous service as Deputy Director	Post graduate degree or equivalent in Civil Engineering OR Passed final examination conducted by the Institute of Surveyors, India.	—do—
	4. Deputy Director (Research)	Joint Director		5 years continuous service as Deputy Director	Post graduate degree in Economics/Geography/ Statistics/Mathematics/ Commerce/Social Science and a degree or diploma in Town Planning/Regional Planning/Traffic and Transportation/Landscape/ Architecture/Urban Design and Housing.	
<b>Class II</b>						
	1. Assistant Director (Planning)	Deputy Director (Planning)		6 years continuous service as Assistant Director.		—do—
	2. Assistant Director (Survey/ Project)	Deputy Director (Survey/ Project)		—do—		—do—
	3. Assistant Director (Research)	Deputy Director (Research)		—do—		—do—
	4. Assistant Director (Establishment).	Deputy Director (Estt.)		—do—		—do—
<b>Class III Non Gzatted</b>						
	1. Draftsman	Assistant Director (Planning)		5 years Service as Draftsman	Degree or Diploma in Architecture/Civil Engineering.	—do—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2. Sub Engineer	Assistant Director (Survey/Project)	Assistant Director (Survey/Project)	5 years Service as Sub-Engineer	Degree or Diploma in Civil Engineering.	—do—
	3. Senior Research Assistant	Assistant Director (Research)	Assistant Director (Research)	5 years Service as Senior Research Assistant	Post Graduation Degree in Geography/Economics/Statistics/Maths/Social Science.	—do—
	4. Superintendent	Assistant Director (Estt.)	Assistant Director (Estt.)	4 years of Service as Superintendent.	Graduate and Accounts training pass.	—do—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रामेश्वर गुप्ता, उपसचिव.

मध्य प्रदेश शासन  
आवास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय  
// शुद्धिपत्र //

भोपाल, दिनांक 2-1-2011

कमांक एफ 7-18/2009/बत्तीस- इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2010 द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश नगर एवं ग्रामीण नियोजन राजपत्रित (प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी) सेवा भरती नियम, 1977 की अनुसूची -चार में संशोधन किया जाता है ।

2/ राज्य शासन द्वारा जारी उक्त अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2010 में कतिपय त्रुटियां सामने आने पर एतद्वारा शुद्धिपत्र जारी किया जाता है :-

// अनुसूची "चार" //  
नियम-14 देखिए

1. तृतीय श्रेणी अराजपत्रित के सरल कं.1,2 एवं 3 के कॉलम-6 में "विहित शैक्षणिक अर्हता विलोपित की जाती है" (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) ।
2. सरल कमांक-3 के कॉलम-5 में रिसर्च सहायक के स्थान पर वरिष्ठ रिसर्च सहायक पढ़ा जावे (केवल प्रकाशित हिन्दी के भाग में) ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



( आशीष सक्सेना )  
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन  
आवास एवं पर्यावरण विभाग